भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1314

जिसका उत्तर 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम

1314. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डिजिटल इंडिया के नाम पर डिजिटल भुगतान के लिए बैंकों को मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने की छूट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई पर भारी शुल्क लगाकर लाभ कमा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रथा पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ)बैंकों की उक्त मनमानी के कारण लोगों को नकद लेन-देन प्रणाली की ओर लौटने के लिए बाध्य हो जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत कराड)

(क) : जैसाकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अवगत कराया गया है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश में आम नागरिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव डाला है। अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख डिजिटल इंडिया पहलों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध में है।

(ख) एवं (ङ) : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किया गया है, 7 सितंबर 1999 से लागू मौजूदा अनुदेशों के अनुसार,अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा शुल्क तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि, सेवा शुल्क तय करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि ये शुल्क उचित हो और प्रदान की जा रही सेवाओं की औसत लागत के अनुरूप हो। उन्हें आगे बुनियादी सेवाओं और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले/अनुसरण की जाने वाले सिद्धांतों की पहचान करके इस तरह के शुल्क को तय करने में तर्कसंगतता सुनिश्चित करनी का भी सलाह दी गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है कि ग्राहकों को सेवा शुल्क के बारे में पहले ही अवगत कराया जाए और ग्राहकों को पूर्व सूचना के बाद ही सेवा शुल्क में बदलाव लागू किया जाए।

उपर्युक्त अनुदेश को 1 जुलाई 2015 के डीबीआर सं .एलईजी.बीसी.21/09.07.006/2015-16 के माध्यम से जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 6 में समेकित किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

साथ ही, आरबीआई ने 06 दिसंबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी संख्या 1633 / 02.14.003 / 2017-18 के माध्यम से, बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए व्यापारी डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते समय ग्राहकों पर एमडीआर शुल्क न लगाए ।

इसके अलावा, राजस्व विभाग के दिनांक 30.12.2019 के 2019 परिपत्र 32 के अनुसार, निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड, अर्थात रुपे डेबिट कार्ड, भीम-यूपीआई और भीम-यूपीआई क्यूआर कोड, के माध्यम से किए गए भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) सहित कोई भी शुल्क 01.01.2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगा।

की गए पहल के परिणामस्वरूप, पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) के दौरान मात्रात्मक रूप से डिजिटल भुगतान की संख्या में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

वित्तीय वर्ष	**विस्तार (लाख में)**
2018-19	2,32,602
2019-20	3,40,025
2020-21	4,37,445
2021-22 (अक्टूबर 21 तक)	3,68,284

स्रोत : आरबीआई

*****

"डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" के संबंध में 06.12.2021 को उत्तर के लिए लोकसभा प्रश्न संख्या 1314 के भाग (ए) में संदर्भित

अनुलग्नक:

1. **आधार:** यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है जो देश के निवासियों को डिजिटल पहचान प्रदान करता है। 30 नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार , 131.56 करोड़ नामांकन, 6325 करोड़ प्रमाणीकरण और 1041 करोड़ ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान की गई है।
2. **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई):** यह देश का अग्रणी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। 30 नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार 261 बैंक यूपीआई से जुड़े हुए हैं। अक्टूबर, 2021 में 7.7 लाख करोड़ रुपये के 421 करोड़ मासिक लेनदेन किए गए हैं।
3. **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):** यह देश में अग्रणी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। 26.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार ,43.94 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं, जिसमें कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है ।
4. **आरोग्य सेतु:** यह कोविड को फैलने से रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग और सेल्फ असेसमेंट ऐप है। 30 नवंबर, 2021 तक की स्थति के अनुसार इसे 20.77 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है और 64.24 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
5. **डिजिलॉकर:** यह डिजिटल इंडिया के तहत अग्रणी पेपरलेस पहल है, जो देश के नागरिकों को ऑनलाइन प्रमाणित सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध करा रही है। 30 नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार,इस प्लेटफॉर्म पर 8.8 करोड़ उपयोगकर्ता, 461 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज़, 1460 जारीकर्ता संगठन और 232 रिसीवर संगठन हैं।
6. **यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस (उमंग):** यह देश में अग्रणी मोबाइल गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य एक ही मोबाइल एप के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। 30 नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार उमंग 265 विभागों से 1317 सरकारी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा उमंग पर 20,330 बिल भुगतान सेवाएं भी उपलब्ध हैं। उमंग 13 भारतीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करता है। इसने अब तक 208 करोड़ लेनदेन की सुविधा प्रदान की है।
7. **आयुष्मान भारत:** यह समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए लक्षित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 30 नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार 16.8 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और 2.27 करोड़ अस्पताल में दाखिले की सुविधा दी गई है।
8. **दीक्षा:** यह देश में अग्रणी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 30 नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार,5,158 पाठ्यक्रमों में 406 करोड़ शिक्षण सत्रों की सुविधा प्रदान की गई है।
9. **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** यह ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क ई-सेवा वितरण केंद्र है। 30 सितंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में 4.3 लाख सीएससी परिचालनरत है और 3.36 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर परिचालरत हैं। सीएससी के माध्यम से 350 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
10. **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी):** आधार संबंद्ध डीबीटी ने 54 मंत्रालयों में वितरित की जा रही 309 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 19.75 लाख करोड़ रुपये के वितरण में योगदान दिया है। अनुमानित लाभ 2.2 लाख करोड़ रुपये है।

*****